Polity → भारत का संवैधानिक विकास | Constitutional development of India:

⇒ 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट | Regulating act - 1773

History → ब्रिटिश pm → "नार्थ" द्वारा → "गुप्त समिति" या [Secret committee] का गठन
└ 1772

सिफारिस | Recommendation पर एक अधिनियम | act पास | Pass किया गया → "Regulating act 1773" के नाम जाना गया।

उद्देश्य | Aim → कम्पनी में भ्रष्टाचार corruption को खत्म करना

① → कम्पनी के प्रशासन के सुपरविजन के लिए / for the supervision of Administration of Company (इंग्लैंड में) → दो संस्था / Two Bodies

1. निदेशक मण्डल / Board of directors
2. हितधारकों का मण्डल / Court of proprietors

② → Board of directors (निदेशक मण्डल) → कार्यकाल / Tenure → 1 वर्ष से बढ़ा कर 4 वर्ष → 4 years

(24 सदस्य) → $\frac{1}{4}$th भाग / part प्रति वर्ष रिटायर होंगे / $\frac{1}{4}$th member will be Retired every years.

③ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया / [1st Governor-General of Bengal]

बंगाल का अन्तिम गवर्नर ← "वारेन हेस्टिंग्स"

(4) बोम्बे एवं मद्रास प्रेसीडेंसी बंगाल के गवर्नर-जनरल के नियन्त्रण में दे दिया।

(5) गवर्नर जनरल की सहायतों के लिये 4 सदस्यों की परिषद / A council for Help of Governor-General –
- 1 - फिलिपफ्रांसिस
- 2 - मानसन
- 3 - बरवेल
- 4 - क्लेवरिंग

(6) → इस अधिनियम (act) द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय / Supreme court 1774 में बनाया / Established

- मुख्य न्याय० / Chief Justice → एलिजाह इम्पे
- 3 अन्य न्याया० / other Judges – (1) लिमैस्टर (2) हाइड (3) चैम्बर
- "अभिलेख न्यायालय / Court of Record"

supreme court के खिलाफ 'Privy council' में अपील / Appeal कर सकते थे

बिना लाइसेंस/without licence के → निजी व्यापार/Private Business (रोक)
→ भारतीय लोगों से उपहार/Gifts (रोक)
→ रिश्वत (Bribe) पर रोक लगादी।

→ 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम [Act of Settlement·1781]

अन्य नाम → Amending Act 1781 या - बंगाल ज्यूडीकेचर अधि० -1781 (Bengal Judicature act-1781)

उद्देश्य:- 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियों को खत्म करना/To Remove the defects of the Regulating act of 1773]

(i) गवर्नरजनरल के कार्यो मे supreme court हस्तक्षेप नही करेगा |
Supreme court will not interfere in the functions of Governor General.

(ii) कल० सरकार - बंगाल, बिहार और उडीसा के लिये कानुन वना सकती थी
(can make laws for Bengal, Bihar, odisa.

(iii) कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण / seperation of Judiciary and Executive